इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा दुगस्ताऊ के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 574 में खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2503/485 रकबा 2.3148 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2502/485 रकबा 0.0486 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा दुगस्ताऊ के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 574 में खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2503/485 रकबा 2.3148 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2502/485 रकबा 0.0486 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम सरिता पुत्री छोटूराम हिस्सा 1/3 के स्थान पर सुहाना पुत्री छोटूराम हिस्सा 1/3 जाति अहिर (यादव) सा. देह खातेदार दुरूस्त** किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 12/06/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एस.डी.ओ.

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner